<u>राजस्व लोक अरालत अभियान</u>
<u>"न्याय आपके द्वार–2017"</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : वारसिंह, RAS.
पत्रावली संख्या : 36 / 16 (विविध प्रा.पत्र)

1. श्री धन्ना पिता वरदा रावत निवासी मासिंगपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

..........प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

............विपक्षी

उपस्थित : 1–श्री विनोद कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

<u>दिनांक : 18.05.17</u>

1. पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2017" में कैम्प कोर्ट "खेरोदा" पर पेश हुई । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौजा मासिंगपुरा पटवार मण्डल बग्गड़ के खाता नम्बर 55 में वर्णित खसरा नम्बर 513, 537, 539, 544 से 546, 555 से 568, 713, 721 से 730, 735, 745 / 552, 746 / 552 कुल किता–34 रकबा 34 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में धूला पिता वरदा रावत के नाम पर 1 / 8 हिस्सा से अंकित है । प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम धुला अंकित किया गया है उसे हटाया जाकर मुझ प्रार्थी का सही नाम धना अंकित कराये जाने का आदेश फरमावें ।

2. हमनें प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया । दस्तावेजात नकल जमाबन्दी समवत 2051–54, सरपंच, ग्राम पंचायत बग्गड़ का प्रमाणीकरण पत्र दिनांक

राशन कार्ड, ICICI Bank Pass Book, आदि का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि प्रार्थी का नाम नकल जमाबन्दी में सेवन धुला पिता वरदा अंकित हो गया है । दस्तावेजात से जाहीर आया है कि प्रार्थी का सही नाम धन्ना पिता वरदा रावत है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि जहॉ प्रार्थी का नाम धुला पिता वरदा आया है उस स्थान पर धन्ना पिता वरदा रावत प्रतिस्थापित किया जावे ।

4. तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

5. निर्णय खुले ईजलास कैम्प कोर्ट **"खेरोदा"** पर सुनाया गया ।

(वारसिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
वल्लभनगर